परिणाम

अ) प्रशुल्क आयोग की पहल के परिणाम

आंकड़े आधारित परिशोधन- विगत में उत्पाद वार सूचना प्राप्त करने में हुई बाधा को अनुभव करते हुए प्रशुल्क आयोग ने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए इस बात का पूर्ण औचित्य दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि भौतिक एवं मूल्य के अनुसर अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में प्रति यूनिट लागत आदि सहित उत्पादन, आयात, कच्चे माल का उपभोग, घरेलू बिक्री, निर्यात, दी गई/प्राप्त की गई सेवाओं, अवयव-वार लागत ब्यौरों के संबंध में उत्पादवार आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए लागत लेखा परीक्षा प्रपत्रों के पूर्ववर्ती प्रपत्रों को ही जारी रखा जाए। आयोग द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियमावली 2014 को दिनांक 31 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया ताकि विशेष रूप से व्युत्क्रमित शुल्क संरचना के संबंध में प्रशुल्क आयोग द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों के लिए अपेक्षित विस्तृत सूचना के प्रापण को सुकर बनाया जा सके।

ब) अध्ययन रिर्पोटों के परिणाम - आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई अध्ययन रिर्पोटों के परिणाम, अनुरोधकर्ता द्वारा इन्हें अपनाने और निर्दिष्ट करने तथा इनका मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्त रूचि और इनके अलावा इसका विश्लेषण करने तथा निर्णय लेने में उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा निम्नलिखित है।

2015-16

राजस्व विभाग ने अपने पत्र सं. 15012/3/2015-**एन सी**-1 **द्वारा सूचित किया है कि जीओए डब्ल्यू, नीमच और गाजीपुर द्वारा उत्पादित विभिन्न एल्कलाइड के मूल्य को आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित किया गया।**

2014-15

1) **व्युत्क्रमित शुल्क ढांचे पर प्रशुल्क आयोग के निष्कर्षों को** 2015-16 **की बजट घोषणाओं में शामिल किया गया है और यह प्रशुल्क आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। (ब्यौरे के लिए यहाँ क्लिक करें**)
2) इंवरटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (व्युत्क्रमित शुल्क ढांचा) पर प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को 2014-15 की बजट घोषणा में समाविष्ट किया गया जिसके ब्यौरे प्रशुल्क आयोग की बेवसाइट पर उपलब्ध हैं। (**ब्यौरे के लिए यहाँ क्लिक करें**)
3) जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 17.06.2014 के अपने पत्र सं.11/1/2012-पीपी/1153 के माध्यम से सिंचाई परियोजना की प्रचालनात्मक एवं रख-रखाव लागत तथा जल की लागत पर प्रशुल्क आयोग द्वारा किए गए अध्ययन की सराहना की गई। (ब्यौरे के लिए यहां क्लिक करें)
4) प्रशुल्क आयोग की 5वीं अध्ययन रिपोर्ट जो 'भारत से निर्यातित जैव संसाधनों की मात्रा, मूल्य और किस्मों, के भाग के रूप में, 'पादप आधारित सामान्यतः व्यापारिक वस्तुओं' की' पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सराहना की गई (संदर्भ दिनांक 14.08.2014 का अर्द्धशासकीय सरकारी पत्र सं. 12025/1/10 सी एस-III)

2013-14

5) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकर कार्यालय ने विनिर्माण उत्पाद में आईडीएस के सुधार के संबंध में राजस्व विभाग को विशिष्ट संस्तुतियां करने के लिए संघीय बजट 2013-14 के लिए अपने प्रस्ताव हेतु व्युत्क्रमित शुल्क ढांचा संबंधी प्रशुल्क आयोग की सभी 26 रिपोर्ट का उपयोग किया (संदर्भ दिनांक 19 मार्च 2014 का पत्र सं॰ इक.एड 2/16/2012-टीएफपी)।

6) वाणिज्य विभाग ने अपने दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के पत्र सं. 14/7/2005-टीपीडी द्वारा वर्ष 2012-13 में व्युत्क्रमित शुल्क संरचना के संबंध में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट में रूचि व्यक्त की है ।

7) स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने दिनांक 3/4/2013 के पत्र सं. एक्स-11035/12/2012-डीजीक्यूसी के माध्यम से प्रशुल्क आयोग द्वारा व्युत्क्रमित शुल्क संरचना के संबंध मे किए गए अध्ययन को राजस्व विभाग को पृष्ठांकित किया है ।

8) प्रशुल्क आयोग द्वारा सिंचाई परियोजना की प्रचालन एवं प्रबंधन लागत पर किए गए अध्ययन की चार रिपोर्टें और जल के विभिन्न उपयोग अर्थात् सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक जल आपूर्ति की मानक लागत का मूल्यांकन संबंधी दो रिपोर्ट को 14 मार्च, 2014 को जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया (संदर्भ: दिनांक 28/2/2014 का अ.शा. पत्र सं0 2-7/2012-एम.आई. (स्टैट) ।

9) प्रशुल्क आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश के लिये सिंचाई परियोजना की प्रचालन एवं प्रबंधन लागत के संबंध में किए गए अध्ययन के लिए जल संसाधन मंत्रालय के एमआई(स्टैट) विंग द्वारा अनुरोध किया

गया जिसे उनके द्वारा XIVवें वित्तीय आयोग को प्रस्तुत किया जाना था (संदर्भ दिनांक 16 अगस्त, 2013 का पत्र)।

10) उर्वरक मंत्रालय ने अपने दिनांक 2 जून, 2014 के पत्र सं. 23011/8/2013-एमपीआर के माध्यम से सूचित किया है कि पोषक आधारित आर्थिक सहायता (एनबीएस) नीति के तहत फीड स्टाक के रूप में नैपथा/ईंधन तेल (एफओएल)/निम्न सल्फर हैवी स्टाक (एलएसएचएस) का उपयोग करके पी एवं के मिश्रित उर्वरक का उत्पादन करने वाले घरेलू विनिर्माताओं को अतिरिक्त प्रतिपूर्ति मंत्रिमंडल निर्णय के मद्देनजर प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर तय की जाएगी ।

11) प्रशुल्क आयोग द्वारा प्लांट/बंदरगाह से ब्लाक में 500 कि0मी0 तक सड़क द्वारा उर्वरक के परिवहन के संबंध मे अनुशंसा की गई स्लैब वार दरों को उर्वरक विभाग द्वारा अपनाया गया (संदर्भ दिनांक 14 मार्च, 2014 का पत्र सं0 12012/25/2013-एफपीपी)

12) राजस्व विभाग ने अपने दिनांक 5.7.2013 के पत्र सं0 सी-15012/2/1/10-एसओ(एनसी-1) के माध्यम से सूचित किया है कि मार्च-अप्रैल, 2013 में सरकारी अफीम एवं अल्कालाइड वर्क्स द्वारा बहुतायत में उत्पादित दवाओं के मूल्य में संशोधन करने के संबंध में प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं पर पूर्णतया विचार किया गया है ।

13) डीजीएस एवं डी द्वारा खाद्य अनाज की पैकिंग के संबंध में जूट की खरीद के लिए रोकी गई राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रशुल्क आयोग द्वारा अनुशंसित फार्मूले को डीजीएसएवंडी

द्वारा लागू किया गया है (संदर्भ दिनांक 19 फरवरी, 2014 का पत्र सं0 कोल/जूट/एडीएस(सी-3) नीति मामला/2014) ।

14) पुरानी मशीनरी और घरेलू पूंजीगत सामान उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर इसके प्रभाव-प्लास्टिक संसाधन मशीनरी संबंधी रिपोर्ट 12 दिसम्बर, 2013 को आयोजित डीजीएफटी अधिकारी बैठक के दौरान महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत की गई (संदर्भ दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 का अ.शा.पत्र सं0 01/93/180/20/ एएम-13/पीसी-2(बी)ई50) ।

15) प्रशुल्क आयोग द्वारा चिकित्सीय पादप, किस्म और सुगंधित फसल एवं बागवानी फसल पर तैयार की गई चार रिपोर्ट से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को कुल 88 राजपत्रित अधिसूचित जैव संसाधन का चयन करने में मदद मिली। (संदर्भ: पत्र संख्या एनबीए/तकनीकी सामान्य/22/61/11-12/दिनांक 3 मार्च, 2014)

16) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रशुल्क आयोग की अध्ययन रिपोर्ट 'भारत से निर्यातित जैव संसाधनों की मात्रा, मूल्य एवं किस्म' की सराहना की गई है (संदर्भ दिनांक 19.06.2013 का पत्र सं0 28-13/2008-सीएस-III) और उन्होंने उल्लेख किया है कि अध्ययन में दिए गए आंकड़े मंत्रालय द्वारा जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामान्यतः व्यापारिक वस्तुओं पर जारी की जाने वाली अधिसूचना के संबंध में उपयोगी होंगे ।

17) “भारत से निर्यातित जैव संसाधनों की मात्रा, मूल्य एवं किस्म संबंधी अध्ययन” पर प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट को “12वीं पंचवर्षीय योजना में औषधीय एवं चिकित्सीय वनस्पति संसाधनों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्यनीति” के संबंध में

विशेषज्ञ समिति बैठक/स्टेकहोल्डर परामर्श का पृष्ठभूमि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है ।

18) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 22/8/2013 के पत्र सं0 12025/1/10-सीएस-III के माध्यम से 'मसाले और सुगंधित पादप एवं बागवानी फसल' संबंधी प्रशुल्क आयोग की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट की सराहना की है ।

19) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.10.2013 के पत्र सं0 9.14.2013-ओआरजी.एफएमजी के माध्यम से उपयोग, कार्यकुशलता और लागत प्रभावी के अनुसार रसायनिक संघटकों सहित जैव उर्वरकों का तुलनात्मक निष्पादन संबंधी रिपोर्ट की सराहना की है ।

20) स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 के संबंध में गर्भावस्था परीक्षण किट के मूल्य पर दो रिपोर्ट में प्रशुल्क आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है (संदर्भ: दिनांक 16/5/2013 का पत्र सं0 एस 12012/35/2007/आपूर्ति/गर्भावस्था किट)।

वर्ष 2013-14 से पूर्व

21) एनएमसीसी ने दिनांक 14 जनवरी, 2013 के पत्र सं.21(1)2012- एनएमसीसी द्वारा आई.डी.एस. रिपोर्ट पर प्रशुल्क आयोग के अनुशंसाओं को राजस्व विभाग एवं प्रधानमंत्री कार्यालय को पृष्ठांकित किया है।

22) आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने अपने दिनांक 19/9/2012 के पत्र द्वारा नैपथा के संबंध में प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं को राजस्व विभाग को पृष्ठांकित किया है।

23) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 'सीमेंट उद्योग के निष्पादन की समीक्षा' पर आयोग की रिपोर्ट के कार्यकारी सार एवं निष्कर्ष को अपनी वेबसाइट पर रखा है जिससे विभिन्न पणधारियों के विचार प्राप्त हो सकें। (संदर्भ ई-मेल दिनांक 10 अप्रैल, 2013)

24) वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने सीमेंट उद्योग की 95वीं रिपोर्ट में सीमेंट उद्योग पर निष्पादन से सबंधित डीआरपीएससी को 2010 में भेजी गई प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। (दिनांक 24 फरवरी, 2011)

25) प्रशुल्क आयोग द्वारा वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति को 2010 में भेजी गई सीमेंट उद्योग संबंधी रिपोर्ट का भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा भी उपयोग होगा। (संदर्भ आदेश दिनांक 0.6.2012, मामला संख्या 29/2010)

26) उर्वरक विभाग द्वारा प्रशुल्क आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नजदीकी ढलान बिन्दु से ब्लाक मुख्यालय तक के मानक परिवहन की प्रतिपूर्ति प्रति टन प्रति कि.मी. के आधार पर की गई है। (पीआईबी नोट 8 दिसम्बर, 2011)

27) उर्वरक विभाग द्वारा एफएसीटी और जीएसएफसी द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट (ए एस) के लिए छूट की अतिम दरों के संबंध में प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया। (संदर्भ पत्र संख्या 22011/6/2009 दिनांक 25/5/2012)

28) नियंत्रण मुक्त फास्फेटिक एवं पोटासिक (पी एवं के) उर्वरक संबंधी अनुदान स्कीम मुख्यतः प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। (पीआईबी टिप्पण दिनांक 26 जून, 2008)

29) जूट कमिश्नर कार्यालय द्वारा मूल्य समायोजन फार्मूले का उपयोग करते हुए प्रशुल्क आयोग द्वारा अनुशंसित बी-ट्विल बैग

की कीमत को स्वीकार कर लिया गया है। (संदर्भ जूट मूल्य नीति दस्तावेज में पैरा 2.28)

30) वस्त्र मंत्रालय द्वारा जूट रेशा संबंधी नीति दस्तावेज तैयार करने में प्रशुल्क अयोग की 'बी-ट्विल जूट बैग-2009 का अध्ययन' से संबंधित रिपोर्ट का उपयोग किया गया है। (आभारोक्ति संदर्भ दस्तावेज के पृष्ठ 250 पर)

31) विदेश मंत्रालय ने अपने दिनांक 2/6/2011 के अ.शा. पत्र संख्या एसी/202/20/2011 द्वारा सूचित किया कि भरत की संकटपूर्ण कच्ची सामग्री की आवश्यकता और एसएसी कच्ची सामग्री के स्रोत की एशिया, अफ्रीका ओर लैटिन अमेरिका में पहचान संबंधी आयोग की रिपोर्ट ने विदेश में भारतीय दूतावास और मिशन को व्यापक और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई है तथा विदेश में ज्यादातर मिशन/पोस्ट्स द्वारा इसकी सराहना की गई है।

32) संकटपूर्ण कच्ची सामग्री के संबंध में आयोग की रिपोर्ट 'आस्ट्रेलिया एक संभावित स्रोत के रूप में ' विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में संबंधित मिशनों को परिचालित किया गया है।

33) कॉपर-टी और ट्यूबल रिंग के संबंध में आयोग की दो रिपोर्टों का उपयोग करके स्वास्थ्य विभाग ने काफी बचत की है। (संदर्भ पत्र संख्या एस12012/21/2004-आपूर्ति दिनांक 26/4/2005)

34) प्रशुल्क आयोग के मूल्यांकन के अनुसार प्रशुल्क आयोग द्वारा अनुशंसित कीमत के आधार पर 2004-05-2007-08 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की

गई कंडोम की खरीद से मंत्रालय को 135.15 करोड़ की बचत हुई है।

35) खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 23.06.2011 के पत्र सं04-5/2008-एफ एंड वीपी/एनई द्वारा फूड पार्क के तीन व्यापक अध्ययनों के संदर्भ में प्रशुल्क आयोग के प्रयास की सराहना की है।

36) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिनांक 30/1/2012 के पत्र सं.ओ.-17034/145/2009-एच/एफटीएस-1674 द्वारा चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में आवासीय अपार्टमेंट/मकानों के निर्माण की लागत में विभिन्न प्रशुल्क (सरकारी शुल्क/कर) के हिस्से के विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट की सराहना की है।

37) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने रीयल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) बिल, 2013 को तैयार करने में प्रशुल्क आयोग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। (पीआईबी टिप्पण दिनांक 14 अगस्त, 2013)

38) व्यय विभाग ने दिनांक 6/3/2009 के अ.शा. सं.6/9/03 द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में प्रशुल्क आयोग के अध्ययनों की आवश्यकता के लिए इच्छा व्यक्त की है।

39) उर्वरक क्षेत्र के मामले में प्रशुल्क आयोग के अध्ययन के आधार पर वर्ष 2006-07 से सरकार फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरक और यूरिया के संबंध में आर्थिक सहायता का निर्धारण कर रही है।

40) एलएनजी आयात और रीगैसीफिकेशन ओर एनजी/आर-एलएनजी के परिवहन प्रशुल्क की लागत तत्व की कीमत पर

रिपोर्ट द्वारा एचवीजे पाइपलाइन के प्रशुल्क में उल्लेखनीय कमी का सुझाव दिया है अर्थात वर्तमान प्रशुल्क रूपये 1150/एमएससीएम के स्थान पर रूपये 832/एमएससीएम।

41) गेल ने उपभोक्ताओं से गैस आपूर्ति के लिए करार किया है। विद्युत के स्वतंत्र उत्पादक गैस के उपभोक्ताओं में शामिल हैं। गेल द्वारा करार के अनुसार उपभोक्ताओं से गैर परिवहन शुल्क लिए गए। आयोग के अध्ययन में पाइप लाइन नेटवर्क सिद्धांत द्वारा परिवहन प्रशुल्क निकाला जाता है। के जी बेसिन गैस आपूर्ति नेटवर्क की परिवहन प्रशुल्क संबंधी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों से प्रशुल्क में निम्नानुसार काफी कमी हुई हैः

गेल द्वारा लिया गया प्रशुल्क बनाम मानक प्रशुल्क

रूपए/एम.एस.सी.एम

आईपीपी के नाम	परिवहन प्रशुल्क	
	गेल द्वारा लिया गया	प्रशुल्क आयोग द्वारा किया गया मानक परिकलन
जीवीके इंडस्ट्री	805	298
स्पैक्ट्रम पावर	805	298
रिलायंस एनर्जी	1,258	298
लैंको	1,732	730

(*) टिप्पणीः प्रशुल्क आयोग की अनुशंसायें संशोधनों के साथ लागू की गई।

42) बझेड़ा-आगरा-फिरोज़ाबाद स्परलाइन और आगरा/ फिरोज़ाबाद शहर वितरण नेटवर्क के लिए गैस परिवहन प्रशुल्क संबंधी रिपोर्ट के सुझावों से एच वी जे और आगरा फिरोज़ाबाद स्परलाइन और शहरी गैस वितरण प्रभार के परिवहन प्रशुल्क में कमी हुई है, अर्थात रूपये 1217/एम एस सी एम के स्थान पर रूपये 1014/एम एस सी एम ।

43) सीपीटी के लिए प्रयुक्त शीशे के संघटक संबंधी प्रशुल्क ढ़ांचे को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग को पृष्ठांकित किया गया।